वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के लिए अस्थाई अनुज्ञा का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1	परियोजना विवरण :–		
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	:	बीजापुर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र बीजापुर अंतर्गत नारंगी क्षेत्र नवोदय विद्यालय हेतु खसरा क्रमांक 81, 3.720 हे. एवं खसरा क्रमांक 83, 1.220 हे. भूमि में नवोदय विद्यालय (माध्यमिक स्तर विद्यालय भवन सह छात्रावास) निर्माण हेतु वन भूमि प्रस्तावित है।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वालो मैप।	:	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	:	परियोजना की लागत लगभग 10.00 करोड़ रूपये है । उपरोक्त वर्णित वन भूमि में नवोदय विद्यालय (माध्यमिक स्तर विद्यालय भवन सह छात्रावास) निर्माण हेतु वन भूमि प्रस्तावित है।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:	राजस्व भूमि कम उपलब्ध होने के कारण वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है । बीजापुर जिला आदिवासी बहुल जिला है एवं नक्सली हिंसा से ग्रस्त है । जिले के स्थापना को 10 वर्ष हो चुके हैं लेकिन यहां सी.बी.एस.ई.पेटर्न की शालायें संचालित नहीं हैं । प्रायः प्रत्येक जिले में एक नावोदय विद्यालय की स्थापना हो चुकी है लेकिन हमारे जिले में अभी तक नावोदय विद्यालय की स्थापना नही हो पाई है । नावोदय विद्यालय प्रारंभ होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा युक्त सी.बी.एस. ई.पाठ्यकम की शालाओं में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा । बीजापुर जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 75 है ऐसे में नावोदय विद्यालय केन्द्र सरकार की योजना के तहत संचालित प्रथम संस्था साबित होगी एवं क्षेत्रीय छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सकेगी ।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण	:	जिले में सी.बी.एस.ई. पेटर्न की शालायें नही हैं। इससे आदिवासी अंचल के छात्रों को लाभ मिलेगा ।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	:	विद्यालय में अध्यापन /लिपिकीय कार्य एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्यों के संपादन हेतु 80 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा,जिससे उनका परिवार लाभान्वित होगा ।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	:	– नवोदय विद्यालय माध्यमिक शाला भवन – 1.50 हे. – माध्यमिक स्तर छात्रावास भवन निर्माण – 1.50 हे. – खेल मैदान – 1.94 हे.
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।		0
(i)	परिवारों की संख्या।		0
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	:	0
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के परिवारों की संख्या)	:	0
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	:	नही।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	:	सहमत।

	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा।	:	1. आवेदक विभाग का मांग पत्र
		:	2. प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण
		:	3. सर्व आफ इंडिया की टोपोशिट 1:50000 स्केल पर (मूल प्रति)
		:	4. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।
		:	

दिनांक :–
स्थान :– बीजापुर।
प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं.
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)

कलेक्टर
जिला बीजापुर